

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1603] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938 No. 1603] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASHADHA 7, 1938

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

का.बा. 2224(ब).—केंद्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2016 के का. आ. 126 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत्:—

उक्त आदेश में, प्रस्तावना में, पैरा 4 में, '30 जून, 2016 तक' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर '30 सितम्बर, 2016 तक' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2016 के का.आ. सं. 126(अ) के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

3222 GI/2016

(1)

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2016

S.O. 2224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii) vide number S.O. 126(E), dated the 14th January, 2016, namely:—

In the said Order, in the Preamble, in paragraph 4, for the words, figures and letters "upto 30^{th} June, 2016", the words, figures and letters "upto 30^{th} September, 2016" shall be substituted.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 126(E), dated the 14th January, 2016.